145

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs. 30/-

R 5223-II/16

1. संत प्रसाद तनय रामाधार उम्र-50 वर्ष, पेशा – खेती, निवासी ग्राम सूरा तहसील मनगवां जिला रीवा (म0प्र0)

2. जगदीश प्रसाद तनय स्व0 श्री रामाधार उम्र-52 वर्ष, पेशा – खेती, निवासी ग्राम सूरा तहसील मनगवां जिला रीवा (म0प्र0)

-----------निगरानीकर्ता

बनाम्

1. आम जनता द्वारा, बृजेश सिंह तनय स्व0 रणबहादुर सिंह निवासी समान तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

2. अशोक सिंह तनय सन्तोष सिंह निवासी एल0आई0जी0 63/29/335 नेहरु नगर गंगोत्री कालोनी के पीछे रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

---------गैर निगरानीकर्ता

श्री रविन्द्र कुमार गौतम द्वारा आज दिनांक 13-5-16 प्रस्तुत किया गया
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी कलेक्टर महोदय रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक – 823अ-19/निगरानी/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 16/2/2016 के खिलाफ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता।

मान्यवर,

मामले के तथ्य निम्न है :-

1. यह कि गैर निगरानीकर्ता क्रमांक – 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय

संतप्रसाद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5223–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16 –8–2017	आवेदक अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। कलेक्टर रीवा के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 16–2–2016 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में 13–5–16 को प्रस्तुत की गई है। कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन आदेश आवेदक को सुनने के पश्चात पारित किया गया है। आवेदक द्वारा दिनांक 18–2–16 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तथा दिनांक 09–3–16 को आदेश की नकल प्राप्त हो गई थी। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत किये जाने हेतु 60 दिवस का समय प्रावधान है। नकल प्राप्ति हेतु लगे समय को यदि कम कर करने के उपरांत आवेदक को 05–5–16 तक निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 13–5–16 अर्थात 8 दिवस विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है। विलम्ब के समर्थन में म्याद अधिनियम की धारा 5 एवं शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया है।1996 आर.एन0 257 जिला पंजीयक सहकारी बैंक मर्यादित विरूद्ध काशी प्रसाद गुप्ता में इस न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "विलम्ब के लिऐ आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत नहीं किया गया – 5 दिन का विलम्ब भी क्षमा नहीं किया जा सकता है ।" दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी अवधि बाह्य होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एम0 अली) सदस्य	